



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Manoj Kumar

Reg. No.  
Ch-18 Collec  
Mob. 9319547557



FY 291345

Advocate  
Date 11/2001  
Court SRE  
Mob. 9319541557

(इकरारनामा मुहायदा वैय बिला कब्जा)

मे कि श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रामगोपाल निवासी 133 न्यू आवास विकास कालोनी परगना तहसील व जिला सहारनपुर (PANCARD BQMPK7022F) (आधारकार्ड 7174 9775 3657) मोनो 8171868703 (प्रथम पक्ष)

एवं

श्री सुन्दर पाल पुत्र रव० श्री इलमचन्द निवासी नन्द वाटिका गलीरा रोड सदर बाजार परगना तहसील व जिला सहारनपुर (PANCARD BBHPP2930F) (आधारकार्ड 9433 1384 2401) मोनो 9719563383 (द्वितीय पक्ष) के है।

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति मुझ प्रथमपक्ष ने द्वारा वैनामा इकरारी श्री केशवाराम सम्पत्ति प्रबन्धक द्वारा विजयपाल उपरोक्त आवास एव विकास परिषद स0पुर से लेखतिथि 03.11.2014 ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही न0 1 जिल्द 4227 पृष्ठ 57 से 106 पर कमांक 8294 रजिस्ट्री दिनांक 07.11.2014 ई0 बदफतर सब रजिस्ट्रार द्वितीय सहारनपुर के खरीद की हुयी है और जिसकी वावत

Manoj Kumar



Shri



मुझ प्रथम पक्ष को जुमला अख्तियारात मालकाना व हकूक इतकालात बगैरा हर किसम के हासिल है और जो आज तक हर प्रकार के ऋण भार सरकारी अथवा गैर सरकारी, वाद विवाद, मुहायदे जात, डिकी व जमानत बगैरा हर किसम से पाक व साफ, हैं और मकान विक्रीत की बाबत कोई वाद किसी किसम का किसी अदालत में विचाराधीन नहीं है जिसके पाक व साफ होने का मैं प्रथम पक्ष हर तरह पर जिम्मेदार है। लिहाजा अब मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी खुशी व रजामंदी से निम्न सम्पत्ति का सौदा मुबलिंग 80,00,000/-रु0 (अस्सी लाख रुपये मात्र) जिसके आधे 40,00,000/-रु0 (चालीस लाख रुपये मात्र) होते हैं, बदस्त श्री सुन्दर पाल पुत्र स्व0 श्री इलमचन्द निवारी नन्द वाटिका गलीरा रोड सदर बाजार परगना तहसील व जिला सहारनपुर से तैय कर लिया है, मैं आज की तारीख से द्वितीय पक्ष के साथ शरायत जैल पर तैय किया और द्वितीय पक्ष ने शरायत जैल पर खरीदनी स्वीकार की है, अतः हम दोनों पक्ष व हमारे उत्तराधिकारी व स्थानापन्न शरायत जैल के पाबन्द रहेंगे :-

- 1— यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने मुबलिंग 10,00,000/-रु0 (दस लाख रुपये मात्र) द्वारा आर0 टी0 जी0 एस0 जिसका यू0 टी0 आर0 नं0 एस0 बी0 आई0 एन0 आर0 52022121219949263 दिनांक 12.12.2022 के बतौर ब्याने के रूबरू गवाहान के प्राप्त कर लिये हैं।
- 2— यह कि पक्षगण के मध्य निम्न सम्पत्ति का बैनामा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर बकिया रकम मुबलिंग 70,00,000/-रु0 अदा कराकर बैनामा करा लेंगे।
- 3— यह कि प्रथम पक्ष अपनी बकाया रकम मुबलिंग 70,00,000/-रु0 (सत्तर लाख रुपये मात्र) अन्दर मियाद द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष के हक में या वह जिसके नाम अपनी स्वेच्छा से चाहेगा तहरीर व तकमील करा कर बिना किसी उजर के मैं प्रथम पक्ष रजिस्ट्री करने का जिम्मेदार व पाबन्द रहूँगा।
- 4— यह कि मैं प्रथम पक्ष तामियान इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का किसी प्रकार से कोई हस्तानान्तरण आदि किरी अन्य शख्स के हक में नहीं करूँगा।

मुझ प्रथम पक्ष  
के हस्तानान्तरण  
आदि किरी अन्य  
शख्स के हक में  
नहीं करूँगा।

मुझ प्रथम पक्ष  
के हस्तानान्तरण  
आदि किरी अन्य  
शख्स के हक में  
नहीं करूँगा।

5— यदि उक्त सम्पत्ति मे लोन आदि कुछ देय है तो बैनाम से पूर्व अदा कर दूंगा।

6— यह कि मे प्रथम पक्ष हस्त शरायत इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का बैनामा करने मे कासिर रहा तो द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह न्यायालय द्वारा तकमील माहदा बैय कार्यवाही कराकर जायदाद जैल बैय करा ले और बकाया रकम दाखिल अदालत कर दे। ऐसा करने मे जिस कदर हजा व खचा द्वितीय पक्ष का होगा उसको अदा करने की तमाम जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की जात-खास व जायद हर किसाम पर होगी।

### विवरण सम्पत्ति अनुबन्धित

सम्पत्ति सख्या श्रेणी उच्च आय वर्ग भवन स0-3ए/41 कुल क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर आच्छादित क्षेत्रफल 180.70 वर्गमीटर जिसकी नाप पूरब 10 मीटर, पश्चिम 10 मीटर, उत्तर 20 मीटर व दक्षिण 20 मीटर है वाके शाकुम्भरी विहार (मवीकलों योजना स0-8) परगना तहसील व जिला सहारनपुर।

#### सीमाएँ

पूरब	= सड़क 09 मीटर चौड़ी।
पश्चिम	= भवन स0 - 3ए/30
उत्तर	= भवन स0 - 3ए/42
दक्षिण	= भवन स0 - 3ए/40